

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक - पंजी0/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत एवं बन्द वसीयत को खुलवाने बाबत अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/119

प्रार्थी तिलकराज पुत्र मस्तानचन्द जाति अरोडा निवासी गांव 4 जेजे तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, मूल रसीद, वारिसनामा व आई.डी. प्रूफ, एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी. प्रूफ पेश किया है। प्रार्थी द्वारा निवेदन किया है कि मेरे पिता मस्तानचन्द पुत्र रामप्यारामल जाति अरोडा निवासी 4 जेजे तहसील पदमपुर व जिला श्रीगंगानगर द्वारा बन्द वसीयत 03.01.2014 को करवाई थी उनका स्वर्गवास दिनांक 28.02.2019 को हो चुका है। जो खोली जाकर पंजीकृत की जावे।

प्रार्थी को गवाहान रामप्रकाश पुत्र संतलाल एवं रजत चावला पुत्र तिलकराज ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता हिमांशु गुप्ता श्रीगंगानगर ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सिल्ड पैकेट बंद लिफाफा खोलने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक महोदय

2021/119

2021/119

2021/119

जिला पंजीयक  
श्री गंगावत